(3)

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-24/2021-22

हरिनंदन साह

बनाम्

सीताराम साह एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक	
06.08.22	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता हरिनंदन साह, पे0—स्व0 काली साह, सा0—डहुआ, थाना—ललमटिया, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के रा0वि0 वाद नं0—21/17—18 के आदेश दिनांक—06.04.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने रा0वि0 वाद नं0—21/17—18 के आदेश दिनांक—06.04.2021 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—डहुआ नं0—08 बसौड़ी पेज सं0—131 दाग नं0—667 रकवा 00—09—14 धुर एवं दाग नं0—668 रकवा 00—05—09 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हीरू साह वल्द फुदु साह के नाम से दर्ज है। गत सेटलमेंट के समय से ही अपीलकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत हीरू साह के आधार पर उक्त जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं। जमाबंदी रैयत हीरू साह को एक पुत्र काली साह हुए एवं काली साह का पुत्र हरिनंदन साह (अपीलकर्त्ता) है। उक्त जमावंदी सं0—131 के दाग नं0—667 की जमीन के संबंध में उत्तरवादी ने वर्ष 2017 से परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया है एवं उक्त दाग नं0 की जमीन पर दावा करने लगा। क्योंकि कुछ ताड़ के पेड़ को उनके पूर्वज के कब्जे में दिखाया गया है। लेकिन तय सिद्धांत है कि उनके पूर्वज के दखल में दिखाये गये ताड़ वृक्ष पर ही उनका दावा हो सकता है। दाग नं0—667 की जमीन पर उत्तरवादी का दावा नहीं हो सकता है। जमीन का मालिक वहीं हो सकता है, जिनके पूर्वज के नाम से जमाबंदी दर्ज है। उक्त दाग नं0 की जमीन पर विवाद होने पर अपीलकर्त्ता के द्वारा पंचायती बुलाया गया था। पंचों के द्वारा दोनों पक्ष को सरकारी अमीन से नापी कराने हेतु निर्णय दिया गया। इसलिए अपीलकर्त्ता के द्वारा नापी कराने के लिए अनुमंडल

पदाधिकारी, महागामा के समक्ष आवेदन दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। उसी समय उत्तरवादी ने नकलखाना से मिलकर नकली पर्चा तैयार करवाया, जिसमें बाड़ी शब्द दर्ज है और उस पर्चा के आधार पर उत्तरवादी के द्वारा उक्त दाग नं0 की जमीन पर दावी करने लगा। इसके बाद अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने उक्त जमीन का सत्यापन के लिए जिला अभिलेखागार से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला अभिलेखागार, गोड्डा ने मूल पर्चा का फोटो कॉपी कर सत्यापित कर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को प्रतिवेदन दिया था। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने जिला अभिलेखागार गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रतिवेदन दिया था। जिला अभिलेखागार, गोड्डा के प्रतिवेदन के वावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा आदेश पारित किया गया कि पर्चा कें दखल कॉलम में अलग–अलग दखलकार का नाम दर्ज है और अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उक्त आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए सरकारी अमीन से नापी हेतु अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को निदेश देने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान अपील वाद मौजा–डहुआ नं0–08 के जमाबंदी सं0–76 बसौड़ी खाता नं0–131 दाग नं0–667 रकवा 00–09–14 धुर एवं दाग नं0–668 रकवा 00–05–09 धुर जमीन से संबंधित है। जमाबंदी सं0–76 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दुखन साह, पे0–भीखू साह एवं हीरू साह, पे0–फुदु साह के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी गत जमाबंदी रैयत दुखन साह के वंशज है। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में उत्तरवादी के पूर्वज का नाम दर्ज है। क्योंकि गत सर्वे के समय उक्त दाग नं0–667 की जमीन पर दुखन साह दखलकार थे एवं दुखन साह की मृत्यु के बाद उत्तरवादी उक्त दाग नं0 की जमीन पर दखलकार है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा नापी के लिए आवेदन दिया था, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने जिला अभिलेखागार, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई एवं जिला अभिलेखागार से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। इसलिए अनुमंडल

पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–डहुआ नं0–08 बसौड़ी खाता नं0–131 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हीरू साह वल्द फुदु कौम तेली शा0 देह टोला पुरना टोला कहकर दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय में दाग नं0–667, 668 की जमीन का सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। लेकिन अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल पर्चा जिसका मिलान जिला अभिलेखागार, गोड्डा के मूल खतियान से किया गया, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दाग नं0–667 रकवा 00–09–14 धुर कैफियत कॉलम में ताड़/13 दखल दुखन साह व0 नं0–89 कहकर दर्ज है तथा दाग नं0–668 रकवा 00–05–09 धुर मकान में सहन/4 कहकर दर्ज है। जमीन बसौड़ी खाता की जमीन है। उत्तरवादी का दावा है कि वे जमाबंदी रैयत दुखन साह के वंशज है एवं अपीलकर्त्ता का दावा है कि वे हीरू साह के वंशज है। दोनों ही दाग नं0 के दखल कॉलम में अलग–अलग रैयत का नाम दर्ज है। लेकिन पर्चा में रैयत का नाम हीरू साह वल्द फुदु साह दर्ज है। ऐसी स्थिति में किसी के पक्ष में निर्णय देना इस स्तर से संभव प्रतीत नहीं होता है। उचित निर्णय लेने के लिए अपीलकर्त्ता सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:53:43 +05:30
Location: 192.168.1.38